न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — **श्री बी.एल कोठारी**
आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
1.पुनिया पुत्र छोगा		1.नरसीराम पुत्र दरजा
2.पतिया उर्फ प्रतापा पुत्र छोगा भील		2.पोपटलाल पुत्र दरजा
साकिन नासोली तहसील भीनमाल		3.जिणाराम पुत्र दरजा
जिला जालोर		4.कमला पुत्री दरजा
		5.शारदा पुत्री दरजा
		6.रूपाराम पुत्र मसरा
		7.काली पत्नि रूपाराम
		8.साईती पुत्री मसरा
		9.मंजू पुत्री मसरा
		10.पारू पुत्री मसरा
		11.हिमता पुत्र घूसा
		12.तलछा पुत्र घूसा
		13.बगीया पुत्र पीरीया
		14.सांवलीया पुत्र पीरीया तमाम भील निवासीगण नासौली तहसील भीनमाल जिला जालोर
		15.भूमिधारी तहसीलदार भीनमाल जिला जालोर

प्रकरण संख्या अपील 25/2017

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

.....

पक्षकारान के अधिवक्तागण:-
1-श्री अशोक कुमार माली अभिभाषक अपीलान्टस
2-श्री सतपाल पुरोहित अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14
3-श्री छोटूसिंह राजकीय अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-12.02.2018

1. अपीलान्टस ने यह अपील अतिरिक्त तहसीलदार बागोडा के आदेश दिनांक 17.09.1998 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जो ग्राम नासोली के नामान्तरकरण संख्या 106 पर पारित किया गया है।

2. अपीलान्टस के अभिभाषक द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर बाद जांच Subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित नामान्तरकरण तलब किया गया। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में उभय पक्षो की बहस सुनी गई।

3. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस एवं रेस्पोडेन्ट मका के वारिशान है। मका ने अपनी मृत्यु के समय छोगा, घूसा एवं पीरिया को उत्तराधिकारी प्रावधानो के तहत प्रथम श्रेणी के वारिशान के रूप में छोडा है। मका अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज है। इस प्रकार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पूर्वज मका की खातदारी आराजी मौजा नासोली में वर्तमान खसरा नंबर 752, 753, 891, 892, 901, 920, 921, 932, 933, 996 व 997 जुमले रकबा 11.48 हैक्टर की आई हुई थी। जिसमें मका की मृत्यु के बाद अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिता छोगा, घूसा एवं पीरिया को बतौर उत्तराधिकारी प्राप्त हुई। उपरोक्त वर्णित आराजी में 1/3 हिस्सा अपीलांट का एवं 2/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट का है। उपरोक्त आराजी अभिलेख में रेस्पोडेन्ट के नाम खातेदारी दर्ज हुई तथा अपीलांट के नाम उक्त आराजी में 1/3 हिस्सा दर्ज होने से भूल से रह गया जबकि इस आराजी में बतौर पैतृक संम्पति के रूप में होने से अपीलांट द्वारा अदालत उपखंड अधिकारी भीनमाल में रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध खातेदारी हक की घोषणा एवं निषधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । जिसे अदालत उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 30.3.1998 का निर्णित कर डिक्री किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्व वाद संख्या 06/97 है। उपरोक्त निर्णय व डिक्री की पालना में अदालत तहसीलदार भीनमाल द्वारा अपीलांट के हक में नामान्तरकरण संख्या 106 अभिलेख में दर्ज किया गया। परन्तु पंजीयन राशि जमा नहीं

Sd-

होने से उक्त नामान्तरकरण अस्वीकृत किया गया। जिसे व्यथित होकर अपीलांट यह अपील प्रस्तुत की है।

4. अपीलांटस के वकील ने बहस में व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस नही दिया गया है तथा सीधे ही पंजीयन राशि जमा नही होने का नोट लगाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो निरस्त करने योग्य है। अपीलांट द्वारा अदालत सहायक कलेक्टर भीनमाल में पैतृक संम्पति में निहित अपने हक व अधिकारो की घोषणा बाबत वाद जो मुकदमा नंबर 06/1997 दर्ज कर दिनांक 30.3.1998 को निर्णित हुआ है। उक्त निर्णय में अपीलांट के नाम मौजा नासोली में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 752, 753, 891, 892, 901, 920, 921, 932, 933, 996 व 997 जुमले रकबा 11.48 हेक्टर है, में अपीलांट के 1/3 हिस्सा खातेदारी का घोषित कर शेष 2/3 हिस्सा रेस्पोडेन्ट का यथावत रखा एवं अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार भीनमाल को लिखा गया। माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी किया गया एवं अपीलांट के हक में घोषित 1/3 हिस्से पर बरखिलाफ रेस्पोडेन्ट के स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई तथा साथ ही यह भी आदेशित किया कि महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्राक विभाग राजस्थान अजमेर के परिपत्र संख्या एफ 7/482/10/विधि/11804-12187 दिनांक 22.08.1996 के अनुसार ऐसी डिक्री आदेश में जिसमें अचल सम्पति का हस्तान्तरण हो या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अधिकार हित अथवा स्वामित्व का हस्तान्तरण हो तो वह conveyance की परिभाषा में आता है जिस पर मुद्रांक कर निष्पादन के समय की अचल सम्पति के मार्केट वेल्यू पर देय है। उक्त आदेश पारित होने के पश्चात अपीलांट द्वारा निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय एवं पटवारी हल्का को दी गई थी। उसके पश्चात से अपीलांट पटवारी हल्का से सम्पर्क करते रहे हमेशा यह कहा जाता रहा कि उक्त निर्णय की पालना कर दी जायेगी एवं निर्णय की पालना में शुल्क कर के रूप में मुद्रांक/स्टाम्प राशि जमा करवानी होगी। इसका नोटिस दिया जायेगा। उसके पश्चात से आज दिन तक अपीलांट को मुद्रांक राशि जमा करवाने का नोटिस जारी नही किया गया है। अपीलांट ग्रामीण एवं निरक्षर काश्तीय पेशा मजदूर है। जिन्हे अभिलेख की जानकारी विवादित आदेश की कभी नही रही। वर्तमान में अपीलांट को उपर वर्णित आराजी में अपने कब्जे व काश्त के 1/3 हिस्से को और अधिक उपजाउ बनाने हेतु रकम की आवश्यकता होने से ऋण प्राप्त करने हेतु जमावंदी की नकल पटवारी के पास अपीलांट लेने गया तो पटवारी द्वारा कहा गया कि निर्णय की पालना के रूप में तुम्हारे नाम की अभी तक अभिलेख में दर्ज नही है। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 16.08.2017 को अभिलेख में अपना नाम दर्ज करवाने बाबत एवं निर्णय एवं डिक्री की पालना अभिलेख में इन्द्राज बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट भी मंगवाई गई। अधीनस्थत न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित से पूर्व अपीलांट को निर्णय व डिक्री की पालना के लिये मुद्रांकन राशि जमा करने बाबत कोई नोटिस जारी नही किया गया। सीधे ही विवादित आदेश जारी कर अस्वीकृत किया गया। अपीलांट आज भी मार्केट वेल्यू के अनुसार मुद्रांकन राशि जमा करवाने को तैयार एवं तत्पर है। विवादित आदेश की जानकारी पटवारी हल्का से ऋण प्राप्त करने हेतु जमावंदी की नकल की आवश्यकता होने से नकल मांगने पर हुई। जिस पर अपीलांट ने दिनांक 16.08.2017 को प्रार्थना पत्र पेश कर निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.1998 की पालना अभिलेख में दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं उक्त प्रार्थना पत्र पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा विवादित आदेश की जानकारी दी। जिस पर अपीलांट ने जालोर आकर वकील के मार्फत दिनांक 08.11.2017 को विवादित आदेश नामान्तरकरण संख्या 106 की प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन पर दिनांक 09.11.2017 को विवादित आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त हुई। जानकारी की दिनांक से अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 14 विद्वान अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि वर्ष 1998 में रेस्पोडेन्ट उपखंड अधिकारी भीनमाल के प्रकरण राजस्व वाद संख्या 06/97 अनवान पूनीया बनाम दरजा वगैराह निर्णय दिनांक 30.03.98 में बतौर प्रतिवादी पक्षकार संयोजित है। उक्त डिक्री व निर्णय रेस्पोडेन्ट की उपस्थिति में पारित किया गया था। 1/3 हिस्से की खातेदारी कब्जा व काश्त अपीलांट का है। अपीलांट व रेस्पोडेन्ट एक ही परिवार के सदस्य है। जो मौकाजी के वारिशान है।। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.08.2017 तहसीलदार भीनमाल की पालना में पटवारी हल्का द्वारा मौका जांच का

Sd-

गई है। जो दिनांक 01.10.2017 को की गई फर्द मौका में रेस्पोडेन्ट उपस्थित थे। 1/3 हिस्से पर कब्जा काश्त अपीलांट का है। अगर अभिलेख में अपीलांट के नाम बतौर डिक्री की पालना में 1/3 हिस्सा दर्ज किया जाता है तो कोई आपति नहीं है।

6. सरकारी अभिभाषक ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलाधीन आदेश विधीवत है। अत: अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

7. मेरे द्वारा बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अध्ययन किया गया। बाद सुनवाई के अपीलांट की अपील न्यायहित में अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम नासोली का अपीलाधीन नामान्तरकरण उपखंड अधिकारी भीनमाल के प्रकरण संख्या 06/97 दिनांक 30.03.1998 की पालना में पटवारी द्वारा खोला गया। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा उप पंजीयन भीनमाल से मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क वसूल होकर नहीं आवे तब तक स्वीकृत नहीं करवाया जावे। जांच की गई इन्द्राज सही है. की टिप्पणी अंकित करने पर अतिरिक्त तहसीलदार बागोडा द्वारा पंजीयन राशि जमा नहीं होने अस्वीकृत करने की टिप्पणी अंकित की। जिस पर यह अपील प्रस्तुत हुई।

प्रकरण मे हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद संख्या 06/97 अनवान पुनीया वल्द छोगा वगैराह बनाम दरजा पुत्र घूसा वगैराह में पारित निर्णय दिनांक 30.03.1998 की प्रति का अवलोकन किया गया। जिसमें उपखंड अधिकारी,भीनमाल ने मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क वसूल किये जाने के आदेश पारित किया।

जहां तक मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क वसूल करने का प्रश्न है। इस संबध मे अधीनस्थ न्यायालय को उप पंजीयक भीनमाल से रिपोर्ट ली जाना आवश्क था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व उप पंजीयक भीनमाल से मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क जमा कराने की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाकर सीधे सीधे ही नामान्तरकरण को अस्वीकार किया गया है। जिसे विधी सम्मत नहीं कहा जा सकता है।

ऐसी स्थिति में तहसीलदार भीनमाल को प्रकरण प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये प्रकरण से संबंधित भूमि का किसी अन्य न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन नहीं हो तो उप पंजीयक भीनमाल से मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क वसूली के संबंध में जानकारी प्राप्त कर नियमो के तहत पुन: सुनवाई व साक्ष्य सबूत लिये जाकर नियमानुसार विधी सम्मत कार्यवाही की जावे।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय 12.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर